

## Justice Mehr Chand Mahajan

Mehr Chand Mahajan was the third Chief Justice of India. His contributions for both on and off the Bench, will always remain a philosophical stimulus for the legal fraternity. Law Reports are a testimony of his work as a judge. He authored many famous decisions and landmark cases. Justice Mahajan made his name as an accomplished lawyer, a respected judge, and an influential politician.

Justice Mehr Chand Mahajan was born in a small village called Tika Nagrota in the Kangra district of Himachal Pradesh in 1889. His father, Lala Brij Lal, was an advocate, who later established a reputed legal practice at Dharamsala. After completing middle school, he went to study in the Government College, Lahore, graduating in 1910. He enrolled in M.Sc. Chemistry, but switched to law following persuasion from his father. He earned an L.L.B. degree in 1912 from the Punjab University, Lahore and started his legal practice at Dharamsala. Soon, he shifted to Gurdaspur. It was at Gurdaspur, that he attained recognition as a lawyer. He thereafter, moved to the Lahore High Court. Within a few years, he became a leading advocate at Lahore, where he argued many important cases and was President, High Court Bar Association, Lahore from 1938-43. Mehr Chand Mahajan was appointed judge of Punjab High Court in September 1943. As a permanent judge, he superseded two sitting judges, one of whom was an Englishman, on the recommendation of the then Chief Justice, Sir Trevor Harries.

Maharaja Hari Singh, the ruler of Jammu and Kashmir (in May 1947), sent Maharani Tara Devi and his son, Dr. Karan Singh, to meet Justice Mahajan, to offer him the post of Prime Minister. Justice Mahajan's name was proposed by Sardar Patel - the then Home Minister of India. Before the offer could fructify, Justice Mahajan was made a member of the Radcliffe Commission as an Indian National Congress nominee. As a member of the Commission,

he made a momentous contribution, by persuading Lord Mountbatten, to award Gurdaspur (initially awarded to Pakistan), to India. Justice Mahajan's suggestion, that River Ravi should be made the boundary, dividing India and Pakistan was also accepted. Only, because Gurdaspur is a part of India, it became possible for India to make a road and rail link, connecting Jammu & Kashmir, with the rest of the country.

After the Radcliffe award, Justice Mahajan who was Judge of the High Court of East Punjab joined the post of Prime Minister of Jammu & Kashmir, in September 1947. Justice Mahajan's role in persuading Maharaja Hari Singh, to take the decision regarding the accession of Jammu & Kashmir with India, cannot be forgotten.

On 1<sup>st</sup> October 1948 Sh. Mahajan took the oath of office as a Judge of the Federal Court later known as the Supreme Court when the Constitution of India came into force on 26<sup>th</sup> January 1950. Justice Mehr Chand Mahajan took over as the third Chief Justice of India on January 4, 1954.

His three famous writings were titled "Preserving Unity of India", "How to Increase Food Production", and "Kashmir's Accession to India".

A nationalist to the core, he was a person with strong convictions. He propagated his belief with determination. Though a pre-eminent Judge and Jurist, he was also an administrator of exceptional merit.

Department of Posts is pleased to issue a Commemorative Postage Stamp on Justice Mehr Chand Mahajan.

### Credits:-

Text	: Based on the material received from proponent
Stamp / FDC / Brochure	: Sh. Sankha Samanta
Cancellation Cachet	: Smt. Nenu Gupta

## भारतीय डाक विभाग DEPARTMENT OF POSTS INDIA



न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन  
JUSTICE MEHR CHAND MAHAJAN





## न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन

मेहर चंद महाजन भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायपीठ एवं बाहर दोनों दृष्टियों से उनका योगदान विधिवेत्ता समुदाय के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। विधि रिपोर्टें न्यायाधीश के रूप में किए गए उनके कार्यों का प्रमाण हैं। उन्होंने अनेक प्रसिद्ध निर्णयों और ऐतिहासिक मामलों को रचनाबद्ध किया है। न्यायाधीश महाजन ने एक कुशल वकील, सम्मानित न्यायाधीश एवं प्रभावशाली राजनीतिज्ञ के रूप में ख्याति अर्जित की।

न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन का जन्म एक छोटे से गांव टिका नगरोटा, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश में 1889 में हुआ था। उनके पिता लाला ब्रजलाल एक वकील थे, जो बाद में धर्मशाला के ख्याति प्राप्त वकील बने। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद, वे पढ़ाई के लिए राजकीय महाविद्यालय, लाहौर गए। 1910 में उन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने एम. एससी. रसायनशास्त्र में प्रवेश लिया लेकिन पिता के आग्रह पर उन्होंने कानून की कक्षा में प्रवेश लिया। उन्होंने 1912 में पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर से एल. एल. बी. की डिग्री प्राप्त की और धर्मशाला में वकालत प्रारम्भ की। कुछ समय बाद ही वे गुरदासपुर चले गए। गुरदासपुर में उन्हें वकील के रूप में पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद, वे लाहौर उच्च न्यायालय में चले गए। कुछ ही वर्षों में, वे लाहौर के अग्रणी वकील बन गए। वहां उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण मामलों में बहस की और 1938-1943 तक उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, लाहौर के अध्यक्ष रहे। मेहरचंद महाजन सितम्बर, 1943 में पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर ट्रेवर हैरिस की सिफारिश पर दो न्यायाधीशों की वरिष्ठता का अधिक्रमण करके, जिनमें से एक न्यायाधीश अंग्रेज था, उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

जम्मू-कश्मीर के शासक महाराजा हरी सिंह ने मई, 1947 में महारानी तारादेवी और अपने पुत्र डॉ. कर्णसिंह को उनके पास रियासत के प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने के प्रस्ताव के साथ अनुरोध करने हेतु भेजा। न्यायमूर्ति महाजन के नाम का सुझाव, भारत के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल द्वारा दिया गया था। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने से पहले ही न्यायमूर्ति महाजन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामिती के रूप में रैडक्लिफ आयोग का सदस्य बना दिया गया। आयोग के सदस्य के रूप में, उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान

दिया। उन्होंने गुरदासपुर भारत को देने के लिए (शुरू में इसे पाकिस्तान को दिया गया था) लार्ड माउंटबेटन को राजी किया। न्यायमूर्ति महाजन के सुझाव पर ही रावी नदी को भारत और पाकिस्तान की विभाजक रेखा माना गया। चूंकि, आज गुरदासपुर भारत का हिस्सा है, इसलिए शेष देश से जम्मू-कश्मीर का रेल और सड़क मार्ग से सम्पर्क बने रहना संभव हुआ।

रैडक्लिफ अवार्ड के बाद, न्यायमूर्ति महाजन ने, जो पूर्वी पंजाब के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, सितम्बर, 1947 में जम्मू व कश्मीर के प्रधानमंत्री के पद का कार्यभार संभाला। जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय करने संबंधी निर्णय लेने के लिए महाराजा हरी सिंह को मनाने में न्यायमूर्ति महाजन की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता।

1 अक्टूबर, 1948 को श्री महाजन ने संघीय न्यायालय, जिसे 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाने पर उच्चतम न्यायालय के रूप में जाना जाने लगा, के न्यायाधीश की शपथ ली। 4 जनवरी, 1954 को न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन ने भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की।

उनकी तीन प्रसिद्ध कृतियों के शीर्षक हैं “प्रीजर्विंग यूनिट ऑफ इंडिया” “हाउ टू इन्क्रीज फूड प्रोडक्शन” और “कश्मीर एक्सेशन टू इंडिया।”

वे एक निष्ठावान राष्ट्रवादी थे और दृढ़ धारणाओं वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी धारणाओं को संकल्पबद्ध ढंग से प्रसारित किया। एक प्रख्यात न्यायाधीश और विधिवेत्ता होने के साथ-साथ वे एक असाधारण प्रतिभा के प्रशासक भी थे।

डाक विभाग न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन पर एक स्मारक डाक-टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

### आभार:-

मूलपाठ : प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री पर आधारित  
डाक टिकट/प्रथम दिवस आवरण/: श्री शंख सामंत  
विवरणिका  
विरूपण : श्रीमती नीनू गुप्ता



### तकनीकी आंकड़े TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	:	500 पैसा
Denomination	:	500 p
मुद्रित डाक टिकटें	:	604500
Stamps Printed	:	604500
मुद्रण प्रक्रिया	:	वेट ऑफसेट
Printing Process	:	Wet Offset
मुद्रक	:	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	:	Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at [http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY\\_3D.html](http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html)

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक-टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the stamp, first day cover and information brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00